परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.11.2)

प्राक्कलनों में अतिरिक्त प्रावधान

1. आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना समृद्ध विनिर्देशन

मुख्य अभियन्ता (सड़कें) सानिवि राजस्थान जयपुर ने निर्देश दिया (जनवरी 2015) कि ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत ग्रामीण सड़कों पर बिटुमिनस मैकडैम (बीएम) को नहीं लिया जाना चाहिए। यदि अतिरिक्त लागत की आवश्यकता है, तो वेट मिक्स मैकडैम/वाटर बाउंड मैकडैम परत को डिजाइन के अनुसार लिया जाएगा।

नमूना जांच हेतु खण्डों के रिकॉर्ड की जांच से विदित हुआ कि चार खण्डों में, विभाग द्वारा आरआईडीएफ के तहत करवाये गये विभिन्न ग्रामीण सड़कों के 12 प्रकरणों में बी एम के समृद्ध विनिर्देशों को अपनाते हुए निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, विभाग ने उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन में बी एम के समृद्ध विनिर्देशन को औचित्य और आईआरसी की क्रस्ट थिकनेस की प्रयोज्यता की गणना के बिना अपनाने के कारण, लागत में ₹ 245.50 लाख की वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्यों का नाम	निविदा प्रीमियम के समायोजन के बाद बीएम पर कुल अतिरिक्त राशि (₹ में)
1	अअ, सानिवि खण्ड डीडवाना	फलौदी नीडर (एसएच-19) खाटू गाँव रोड का निर्माण और मजबूत बनाने का काम, अनुबन्ध संख्या 162/950 से 167/0 अनुबन्ध संख्या 149/ 2015-16	1507061
2	अअ, सानिवि खण्ड अजमेर	पैकेज संख्या आरजे-01-06/आरआईडीएफ-20/ 5054/P/2014-15 (अनुबन्ध संख्या 197/ 2015-16)	916551
3	अअ, सानिवि खण्ड अजमेर	पैकेज संख्या आरजे-01-09/NP/5054/P/2014-15 (अनुबन्ध संख्या 198/2015-16)	807171

4	अअ, सानिवि खण्ड अजमेर	पाटन तिलोनिया हरमाडा (ग्राम सड़क) किमी 0/0 से 8/0 (अतिरिक्त कार्य) का रिहेबिलिटेशन कार्य अनुबन्ध संख्या 72/2015-16	916479
5	अअ, सानिवि खण्ड अजमेर	किशनगढ अराडका सड़क किमी 0/0 से 7/0 का आरआईडीएफ-20 के अन्तर्गत (अतिरिक्त कार्य) अनुबन्ध संख्या 64/2015-16	794892
6	अअ, सानिवि खण्ड अजमेर	अतिरिक्त कार्य आरजे-01-06/आरआईडीएफ-21/2015-16 अनुबन्ध संख्या 70/2016-17	173457
7	अअ, सानिवि खण्ड अजमेर	अतिरिक्त कार्य आरजे-01-09/आरआईडीएफ-20/2014-15 अनुबन्ध संख्या 36/2015-16	451659
8	अअ, सानिवि खण्ड अजमेर	पैकेज संख्या आरजे-01-06/आरआईडीएफ-20/5054/2014-15 (अनुबन्ध संख्या 35/2015-16)	203859
9	अअ, सानिवि खण्ड अजमेर	आरजे-01-07/5054/आरआईडीएफ-20/2015-16 (अनुबन्ध संख्या 274/2015-16)	
		(1) रामसर-कानपुरा सड़क किमी 0/0 से 8/0	1567739
		(2) डूमेरा-भावन्ता सड़क किमी 13/500 से 15/0	597086
		(3) पीसागंन-पिचौलिया सड़क किमी 15/0 से 17/0	734877
10	अअ, सानिवि खण्ड अजमेर	आरजे-01-09/5054/आरआईडीएफ-20/2014-15 (अनुबन्ध संख्या 19/2014-15)	
		(1) गूगरा-लाडपुरा नौलखा-श्रीनगर किमी 0/0 से 18/0	6759657
		(2) पुष्कर-गोविन्दगढ किमी 14/0 से 18/0	4841212
11	अअ, सानिवि खण्ड आमेट	पैकेज संख्या आरजे-27-02/आरआईडीएफ XX / 14-15	2448623
12	अअ, सानिवि खण्ड टोंक	पैकेज संख्या आरजे-32-03/आरआईडीएफ XX / 5054/15-16	1829605
योग			**24549928**

2. क्रस्ट थिकनेस के लिए डिज़ाइन ट्रैफ़िक की गलत गणना

आईआरसीः 37-2012, के अनुच्छेद 4.6.1 के अनुसार पेवमेन्ट के डिजाइन को तय करने के लिए, सड़क के आयु के डिजाइन समय के दौरान पेवमेन्ट द्वारा मानक अक्षों की संचयी संख्या के संदर्भ में डिजाइन ट्रैफ़िक का निम्नलिखित समीकरण का उपयोग किया जाना चाहिए:

$$N = \frac{365 \times [(1+r)^n - 1]}{r} \times A \times D \times F$$

जहाँ- ए-प्रति दिन वाणिज्यिक वाहन की संख्या (सीवीपीडी) के निर्माण के पूरा होने के वर्ष में प्रारंभिक यातायात

डी-लेन वितरण कारक

एफ-वाहन क्षति कारक

आर-दशमलव में वाणिज्यिक वाहन की वार्षिक वृद्धि दर

एन-वर्षों में डिजाइन आयु

चार खण्डों[1] के अभिलेखों की जांच में विदित हुआ कि छः कार्यों में विभाग ने गलत तरीके से सड़कों की डिजाइन की गणना की, दो प्रकरणों में वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सीवीपीडी), तीन प्रकरणों में वाहन क्षति कारक (वीडीएफ) तथा एक प्रकरण में डिजाइन समय की गलत गणना की गई। वाणिज्यिक वाहन की वार्षिक वृद्धि दर (आर) की गणना के लिए, यह निर्धारित किया गया कि यदि पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है या दर 5% से कम हो, तो यह अनुशंसा की जाती है कि पांच प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर को अपनाया जाए। हालांकि, विभाग ने, बिना किसी अभिलेखित कारण/डेटा/काम के, पांच प्रकरणों में उच्च ट्रैफिक विकास दर को अपनाया। इससे क्रस्ट थिकनेस को गलत तरीके से स्वीकार किया गया। विभाग ने इन कार्यों में बीएम/डीबीएम और एसडीबीसी/बीसी के समृद्ध विनिर्देशों/गलत क्रस्ट संघटन को भी अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 326.25 लाख की अतिरिक्त लागत आई।

दो खण्डों[2] के अन्य तीन कार्यों में, बिटुमिनस और वियरिंग कोर्स के गलत विनिर्देशों को अपनाया गया, जिससे भविष्य में काफी अतिरिक्त लागत पर पेवमेन्ट की बहाली की आवश्यकता हो सकती है।

[1] अअ सानिवि अजमेर, डीडवाना, हिण्डौनसिटी तथा सागवाडा

[2] अअ सानिवि खण्ड अजमेर तथा दौसा

3. उच्च विनिर्देश के पेवमेन्ट डिजाईन

आईआरसी-62 कम मात्रा के लिए कंक्रीट पेवमेन्ट जिसमें औसत दैनिक ट्रैफिक 450 (सीवीपीडी) से कम हो पर लागू होता है। आईआरसी-62 के अनुच्छेद 4.8 में प्रावधान है कि 150 सीवीपीडी से अधिक ट्रैफिक वाले ग्रामीण सड़कों का सीमेंट बेस 200 मिमी होगा।

मुख्य अभियन्ता द्वारा जारी परिपत्र (सितंबर 2014) के अनुसार, ग्रामीण गौरव पथ योजना (जीजीपीएस) के लिए सीसी पेवमेन्ट की क्रस्ट थिकनेस 150 मिमी होगी।

सरकार ने ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत 29 सड़कों (पैकेज सं. RJ-01-01/GGP-I/P/2014-15) के लिए ₹ 1302.50 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (दिसंबर 2014)। उक्त कार्य के लिए निविदा को मुअ (सडक) द्वारा मैसर्स मेहता इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में लागत राशि ₹ 996.28 लाख के साथ स्वीकार किया गया (दिसंबर 2014)। अअ सानिवि जिला खण्ड अजमेर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि जीजीपीएस की नौ सड़कों की ट्रैफिक गणना अभिलेखों पर नहीं पाई गई अथवा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई, लेकिन विभाग ने मुअ (सडक) के 150 मिमी के प्रावधान के विरूद्ध 200 मिमी सीमेंट बेस का प्रावधान किया था, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 46.13 लाख[3] का परिहार्य व्यय हुआ।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.11.2)

प्राक्कलनों में कमी/गलत प्रावधान

1. सड़क की लंबाई में विचलन के कारण अनाधिकृत निष्पादन: लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम का नियम 285 बताता है कि सभी तकनीकी और कामकाजी विवरणों को पूरा करने और सर्वेक्षण और जांच के पूरा होने, कार्य ड्राइंग/डिजाइन तैयार करने के पश्चात विस्तृत तकनीकी प्राक्कलन तैयार किए जाते है और स्वीकृति प्राप्त की जाती है। नियम 289 यह भी बताता है कि

[3] अ.अ. सानिवि खण्ड अजमेर $18450522 - \frac{18450522 \times 150}{200} = 4612631$

प्राक्कलनों की कोई गारंटी नहीं है कि प्रस्ताव संरचनात्मक रूप से सुदृढ हैं और प्राक्कलनों की सही गणना की गई है और यह पर्याप्त डेटा पर आधारित है।

पांच खण्डों[4] के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 18 सड़कों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में अनुमोदित लम्बाई के संदर्भ में निष्पादित सड़क की कुल लम्बाई में व्यापक भिन्नता थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है;

सड़क की लम्बाई में विचलन के कारण अनाधिकृत निष्पादन: (अतिरिक्त लम्बाई)

(₹ लाखों में)

क्र.स.	खण्ड	पैकेज का नाम	सड़कों का नाम	स्वीकृत लंबाई (किमी)	निष्पादित लंबाई (किमी)	अतिरिक्त लंबाई की सीमा (किमी)	अतिरिक्त लंबाई का प्रतिशत	कुल खर्चा	अनाधिकृत व्यय
1	अअ खण्ड दौसा	RJ-12-01/RIDF-22/2016-17	लवान से खानपुरा	3	3.53	0.53	17.67	42.81	7.56
2	अअ खण्ड सागवाड़ा	RJ-14-04/RIDF-21/2015-16	गामड़ा बामनिया से पिपलगंज	7.5	10.5	3	40	118.21	47.28
3	अअ खण्ड-I जोधपुर	RJ-21-01/RIDF-20/2014-15 Ag no 2/2015-16	बुचेटी से राम चौकी किमी 0/0 से 1/700	1.7	2.786	1.086	63.88	27.26	17.41
योग								**188.28**	**72.25**

सड़क की लंबाई में विचलन के कारण अनाधिकृत निष्पादन: (कम लम्बाई)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	खण्ड	पैकेज का नाम	सड़कों की संख्या	स्वीकृत लंबाई (किमी)	निष्पादित लंबाई (किमी)	कम लंबाई (किमी)	कम लंबाई का प्रतिशत	व्यय
1	अअ खण्ड दौसा	RJ-12-01/RIDF-22/2016-17	ए/आर से दुल्हापुर	6.3	5.241	1.059	16.81	59.55
2	अअ खण्ड दौसा	RJ-12-01/RIDF-22/2016-17	मंडावरी से महरिया वाया किशोरपुरा किमी 0/0 से 4/0	4	3.260	0.740	18.5	51.31
3	अअ खण्ड दौसा	RJ-12-03/RIDF-22/2016-17	दौसा कुंडल गुढ़ा कटला बांदीकुई किमी 11/0 से 22/0	11	7.405	3.595	32.68	234.47
4	अअ खण्ड धरियावाद	लोहागढ़ से पारसोला रोड का निर्माण किमी 6/0 से 13/500 TAD	लोहागढ़ से पारसोला रोड किमी 6/0 से 13/500	7.5	6.050	1.450	19.33	108.79

[4] अ.अ. सानिवि खण्ड दौसा, धरियावाद, जिला खण्ड जोधपुर, कुशलगढ तथा सागवाडा

5	अअ खण्ड धरियावाद	कार्य संख्या CRF-794/RJ/2013-14	सलूम्बर झालेरा धरियावाद प्रतापगढ़ किमी 33/0 से 46/0	13	7.140	5.860	45.08	310.97
6	अअ खण्ड सागवाड़ा	RJ-14-01/RIDF-20/2014-15 अनुबन्ध संख्या 88/2014-15	आसपुर-विजयामाता	7	5.385	1.615	23.07	129.94
7	अअ खण्ड-I जोधपुर	RJ-21-01/RIDF-21/2015-16 अनुबन्ध संख्या 101/2015-16	कांगता से देवनगर	9	8.026	0.974	10.82	64.14
8	अअ खण्ड-I जोधपुर	अनुबन्ध संख्या 2/2015-16	बोरुन्डा रोड़ किमी 8/0 से 13/0	5	4.055	0.945	18.9	43.78
9	अअ खण्ड-I जोधपुर	अनुबन्ध संख्या 2/2015-16	बासनी हरिसिंह से सुवाना किमी 0/0 से 2/500	2.50	1.943	0.557	22.28	30.58
10	अअ खण्ड-I जोधपुर	अनुबन्ध संख्या 2/2015-16	दिकारा से बुर्किया वाया सल्वा कल्लन किमी 0/0 से 4/0 तथा 5/0 से 6/0	5	3.443	1.557	31.15	27.44
11	अअ खण्ड-I जोधपुर	RJ-21-02/RIDF-22/2016-17 अनुबन्ध संख्या 67/2016-17	असोप से बोरुंडा किमी 20/0 से 25/0	5	4.130	0.87	17.40	43.26
12	अअ खण्ड-I जोधपुर	RJ-21-03/RIDF-19/2013-14 अनुबन्ध संख्या 45/2013-14	भावी पीपरसिटी मगनिया खिनवासर किमी 42/0 से 60/0	18	16.626	1.374	7.63	383.78
13	अअ खण्ड-I जोधपुर	RJ-21-04/RIDF-19/2013-14 अनुबन्ध संख्या 40/2013-14	साथिन से गोटन किमी 0/0 से 21/0	21	15.946	5.054	24.07	588.57
14	अअ खण्ड कुशलगढ़	RJ-03-05/RIDF-21/2015-16	भिलकुआ से डूंगरा वाया सज्जनगढ़	10	7.40	2.60	26.00	110.56
15	अअ खण्ड बौंली	RJ-28-03/RIDF-22/2016-17	खेड़ी से बतोडा रोड	16	10.00	6.00	37.50	77.18
कुल								**2264.32**

निष्पादित सड़कों की लम्बाई अनुमानित लंबाई की तुलना में तीन सड़कों में 18 से 64 प्रतिशत तक बढ़ गई और 15 सड़कों में आठ से 45 प्रतिशत तक कम हो गई। पर्याप्त सर्वेक्षण और जांच के बिना सड़क की लम्बाई का प्राक्कलन लगाया गया और परिणामस्वरूप सड़क की लम्बाई का अनाधिकृत/कम निष्पादन हुआ।

2. सरकारी परिपत्र से विचलन में नई सड़कों का निर्माण: सानिवि के परिपत्र (दिसंबर 2014) के अनुसार, ग्रामीण गौरव पथ योजना (जीजीपीएस) के तहत सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़कों का निर्माण पहले से मौजूद सीसी बिटुमिनस सड़कों पर किया जाएगा और इसलिए, नवीन सीसी सड़कों के लिए एक नया उपाधार या तल की तैयारी की आवश्यकता नहीं होगी। यह बताया गया था कि जीजीपीएस के

तहत कार्य देते समय, विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि की खुदाई, ग्रेनुलर सबबेस का निर्माण और कॉम्पैक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रिगेट के बिछाने जैसी मदों को प्राक्कलनों में शामिल नहीं करना चाहिए। यह बिना गुणवत्ता के निर्माण के उद्देश्य से दी गई योजना के पूरे बजट को समाप्त कर देगा।

विभाग ने राजस्थान में 2154 एवं 2086 कार्यों के लिए जीजीपीएस के तहत सीसी सड़कों के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 2014 एवं सितम्बर 2016)। कार्यों के निष्पादन के लिए कार्य आदेश संबंधित खण्डों द्वारा जारी किए गए।

छः खण्डों[5] के अभिलेखों की जांच से पता चला कि आठ प्रकरणों में विभाग ने मिट्टी की खुदाई, ग्रेनुलर सबबेस का निर्माण और कॉम्पैक्टेड ग्रेडेड स्टोन एग्रिगेट के बिछाने जैसी मदों को कार्य के प्राक्कलनों में शामिल किया गया था तथा यथानुसार कार्य प्रदान किये गये। प्राक्कलनों में इन मदों को शामिल नहीं करके और पहले से मौजूद सीसी/बिटुमेन सड़कों पर सीसी सड़कों का निर्माण किया जाकर राशि ₹ 588.49 लाख के व्यय से बचा जा सकता था । इससे विभाग को इस राशि का उपयोग अधिक क्षेत्रों में सीसी सड़कों के साथ जोड़ने में मदद मिलती।

3. बढ़े हुए प्राक्कलन के कारण परिहार्य व्यय: सीआरएफ के अंतर्गत सीकर-टाटनवा-बिंजसी-शाहपुरा-दयालपुरा-डिडवाना-बरांगना-अकोड़ा-चण्डी-सफ़ेद-असारवा-मनाना-मोदी-चारमा-बेशरोली-गिगलीया-हरनवा-गुलेर-भाकरी-रिद-पीच-बैघाटी-पुष्कर रोड, (एमडीआर-181) को 42/0 से 82/0 किमी के वाइडनिंग एवं स्ट्रेथनिंग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। निविदा को ₹ 3363.61 लाख की लागत पर मैसर्स एसपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में मुअ (रारा) द्वारा स्वीकार किया गया (मार्च 2016) तथा कार्य आदेश अ अ सानिवि डीडवाना द्वारा जारी किया गया (अप्रैल 2016)।

कार्य के प्राक्कलन की जांच से विदित हुआ कि एमडीआर-181 के किमी 42/0 से 82/0 के बीच स्थित गांवों (दयालपुरा, लालसारी, सुपका, मैदासरबास, डीडवाना, निम्बीकल्लन, निम्बीखुर्द, बेगसर और अकोड़ा) में स्वीकृत सड़क कार्य के अलावा, पार्श्व सड़क दयालपुरा, लालसारी और कुर्ली के क्रमश: 4500 मीटर, 3000 मीटर

[5] अ.अ. सानिवि खण्ड धरियावाद, जिला खण्ड-। जोधपुर, कुशलगढ, नीम का थाना, सागवाडा तथा शाहपुरा (भीलवाडा)

और 2000 मीटर की लंबाई की सड़क को स्वीकृत प्राक्कलनों में अनियमित रूप से लिया गया और कार्यों को तदनुसार निष्पादित किया गया।

विभाग ने सड़क के कार्य के लिए बढ़ा हुआ प्राक्कलन तैयार किया क्योंकि ये पार्श्व सड़कें एमडीआर-181 का हिस्सा नहीं थी और सीआरएफ निधि से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता था, इसके परिणामस्वरूप अनियमित परिहार्य व्यय ₹ 259.08 लाख[6] किया गया।

जवाब में, राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2018) कि एमडीआर सड़क के पूरा होने के बाद, इस मार्ग पर भारी यातायात की उम्मीद थी। इसलिए सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पार्श्व सड़कों के निर्माण का प्रावधान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये पार्श्व सड़कें एमडीआर-181 का हिस्सा नहीं थी और इसलिए इसका निर्माण सीआरएफ निधि से नहीं किया जा सकता था।

4. निविदा की स्वीकृति के बाद कार्यक्षेत्र में बदलाव: केंद्रीय सड़क निधि नियमों के नियम 7 (3) में यह प्रावधान है कि प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात कार्यक्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। नियम 7 (8) यह भी प्रावधान करता है कि संशोधित प्राक्कलन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

सीआरएफ के अन्तर्गत 7/0 किमी (भुमदा गाँव) से मध्य प्रदेश सीमा (एम डी आर-177) तक बक्शनी रायपुर पीरवा रामपुरिया पटपारा सड़क पर काली सिंध नदी के उस पार पहुंचाने वाले हाई लेवल ब्रिज निर्माण कार्य मोर्थ की प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टूबर 2015) के साथ शुरू किया गया और कार्य मैसर्स एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 4069.81 लाख पर सौंपा गया (जनवरी 2016)। कार्य प्रगति पर ही था कि, राज्य सरकार ने ₹ 1081.74 लाख लागत के अतिरिक्त 5.800 किमी की स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2017)। विभाग द्वारा सड़क की अतिरिक्त लम्बाई की लागत भी सीआरएफ निधि से अतिरिक्त/अधिक मद के रूप में प्रभारित की गई। इस प्रकार, सड़क की अतिरिक्त लम्बाई का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलनों में नहीं दर्शाया गया था।

इससे स्वीकृत कार्यों के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और ₹ 2826.25 लाख का अनियमित व्यय भी हुआ।

[6] Cleaning & grubbing- 3.72 hec x ₹ 9000 = ₹ 33480.00; E/W exc- 17521.30cum x ₹ 40 = ₹ 700852.00; Add for E/W- 66099.75cum x ₹ 30 = ₹ 1982992.00; GSB- 6109.64 x 300.00 = 1832892; WMM- 4903.79 x ₹ 1000.00 = 4903790.00; Primer coat- 36915.37sqm x ₹ 30 = ₹ 1107461.00; Tack coat- 36915.37sqm x ₹ 10.00 = 369154.00; DBM- 1795.37cum x 6500= 11669905.00; BC- 1426.22cum x ₹ 1800 = 2567196.00 Total = 25908198

5. चार लेन के निर्माण के कारण होने वाला परिहार्य व्यय: डिजाईन के उद्देश्य से आईआरसी-73 में विभिन्न प्रकार की सड़कों की क्षमता का निर्धारण किया गया है। दो-लेन की सड़क जिसमें सामान्य अर्थन शोर्डर के साथ सात-मीटर कैरिज मार्ग है, पैसेंजर कार इकाई (पीसीयू) के संदर्भ में निर्धारित क्षमता दोनों दिशाओं में 10,000 है और चार लेन विभाजित राजमार्गों के लिए यह वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर दोनों दिशाओं में 20,000-30,000 पीसीयू हो सकता है।

मोर्थ ने सीआरएफ के तहत तीन सड़कों[7] के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2015 और सितंबर 2016) और निविदाएं मुअ (रा रा) द्वारा स्वीकार की गई (मार्च 2017)। कार्य आदेश अ अ सानिवि खण्ड डिडवाना द्वारा जारी किए गए। अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभाग ने इन सड़कों में केवल 11649/5217/5219 पीसीयू होने की अनदेखी करते हुए फोर लेन डिवाईडेड कैरिजवे बनाने का निर्णय लिया। यद्यपि, इन सड़कों में चार लेन तक

[7]

सड़क का नाम	सड़क की लंबाई / लंबाई 4 लेन (किमी में)	लागत (लाख में)	परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
1. एसएच-60 और एसएच-7 डी किमी 115/550 (अस्पताल चौराहा) के लिए 4 लेन सीसी रोड के निर्माण के लिए किमी 119/050 (लाडनूं फाटक) और एसएच-6 किमी 162/200 (नागौर फाटक) से किमी 164/0 तक डिडवाना में (मदीना मस्जिद)	5.300/5.300	1424.12	1424.12/2 = 712.06
2. अजमेर-बडीघाटी-जयल गनेरी रोड एस एच 60 की दो लेन चौडाईकरण और सुदृढीकरण, किमी 164/0 (कायमखानी हॉस्टल) से 164/900 (भगत सिंह सर्किल) तक और किमी 167/0 (सुभाष सर्कल) से 169/ 500 तक (मेगा हाईवे, सालासर चौराहा)	2.65/1.925	365.99	365.99*1.925/2.65=265.86, 265.86/2 = 132.93
3. कुचामन-डीडवाना-लाडनूं सड़क एस एच 7 डी किमी 110/0 (रहमान गेट) से 115/500 (अस्पताल चौराहा) तक के 4-लेन का निर्माण	5.500/4.175	1120.30	1120.30*4.175/5.550=842.75, 842.75/2 = 421.38
योग			1266.37

चौडाईकरण के लिए पर्याप्त पीसीयू नहीं था। इस प्रकार, फोर लेन सड़कों के निर्माण पर ₹ 1266.37 लाख का व्यय परिहार्य था।

जवाब में राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2018) कि रोड डीडवाना सिटी की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है और एसएच-60, एसएच-7 डी और मेगा हाईवे को जोड़ती है इसलिए भारी ट्रैफिक की समस्या के उन्मूलन के लिए फोर लेन का निर्माण किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन सड़कों में आईआरसी-73 के अनुसार चार लेन तक चौडाईकरण के लिए पर्याप्त पीसीयू नहीं था।

6. अनाधिकृत व्यय: किशनगढ़-हनुमानगढ़ (मेगा हाइवे) रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर सी-33 सड़क मार्ग 149 (डेगाना-रतनगढ़ रेलवे लाइन) किमी 380/6 को 4 लेन रेलवे ओवर ब्रिज (RoB) के निर्माण के लिए मोर्थ द्वारा ₹ 5246.06 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (अक्टूबर 2015) और निविदा मैसर्स एमसीसीपीएल (जेवी) के पक्ष में ₹ 3420.34 लाख की लागत से स्वीकार की गई। जब कार्य प्रगति पर था, मोर्थ ने विभाग को इस निर्देश के साथ कार्य रोकने के लिए सूचित किया (मई 2016) कि कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भारराप्रा) द्वारा बीओटी (वार्षिकी) योजना के तहत पूरा करवाया जाना है। इसके बाद, मोर्थ ने सीआरएफ के तहत कार्य की स्वीकृति वापस लेने के निर्देश जारी किये (अक्टूबर 2016) और आगे निर्देश दिया कि इस कार्य पर कोई खर्चा नहीं किया जाए। मुअ (रारा) ने एसई, सानिवि वृत्त डिडवाना को भी निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2016) कि कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकना सुनिश्चित करें और इस कार्य पर अतिरिक्त देयता न बनाएं।

हालांकि, मोर्थ और मुअ (रारा) के निर्देश के विपरीत, अक्टूबर 2016 के बाद कार्यों पर ₹ 144.31 लाख का व्यय अनियमित रूप से किया गया ।

उत्तर में राज्य सरकार ने कहा (अक्टूबर 2018) कि भारराप्रा को काम सौंपने के लिए पीडब्लूडी मंत्री की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया था (अक्टूबर 2016)। इसके बाद, एसई, सानिवि, वृत्त डिडवाना ने कार्य को एक सुरक्षित स्थान पर रोकने का निर्देश दिया (दिसंबर 2016) और इसलिए, कार्य तुरंत बंद नहीं किया गया। कार्य वापस ले लिया गया (मार्च 2017) और भारराप्रा को सौंप दिया गया (सितंबर 2017) तथा ₹ 144.31 लाख का व्यय जून 2016 से अक्टूबर 2016 की अवधि के लिए था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संवेदक के अंतिम बिल और

माप पुस्तकों से यह पुष्टि हो जाती है कि अक्टूबर 2016 के बाद ₹ 144.31 लाख का व्यय किया गया था जो निर्देशों का उल्लंघन था।

7. स्वीकृत अनुमान से विचलन के कारण परिहार्य व्यय: लोक निर्माण लेखा एवं वित्तीय नियमों के नियम 289 में यह प्रावधान है कि कार्य को तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निष्पादित किया जाना चाहिए। लोक निर्माण लेखा एवं वित्तीय नियमों के नियम के नियम 322 के अनुसार, शेडयुल ऑफ वर्क-शेडयुल 'जी' स्वीकृत प्राक्कलनों के आधार पर तैयार की जाएगी। अभिलेखों की जांच से पता चला कि स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार कार्य निष्पादित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 375.27 लाख का अधिक/परिहार्य व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने नीचे दिए गए छः कार्यों के संबंध में वास्तव में निष्पादित कार्य की कुछ मदों जैसे डीबीएम, बीसी, ड्राई लीन सीसी, अन-रिइनफोर्सड सीसी और क्रस्टेड स्टोन इन सबबेस, इत्यादि स्पेशिफिकेशन में विचलन देखा और एक कार्य के संबंध में शेडयुल 'जी' में विचलन देखा गया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

क्र. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मदें		अधिक/ परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
			निष्पादित किए जाने के लिए	निष्पादित	
1	अअ सानिवि खण्ड डीडवाना	नागौर-सालासर(राज्य राजमार्ग-60) रोड का 2-लेन में चौडाईकरण और सुदृढ़ीकरण किमी 135/0 से 142/0, 149/0 से 153/0, 165/0 से 180/0, 180/400 से 189/0, 190/200 से 193/0	50 एमएम (डीबीएम)	60 एमएम (डीबीएम)	62.85
2		कुचामन-डीडवाना-लाडनूं रोड राज्य राजमार्ग-7डी की चार लेन का निर्माण किमी 110/0 (रहमान गेट) से 115/550 (अस्पताल चौराहा) डिडवाना तक	30 एमएम (बीसी)	40 एमएम (बीसी)	30.06
3	अअ सानिवि खण्ड	सिटी गौरव पथ, झालावाड़ का निर्माण	10 एमएम (ड्राई लीन सीसी)	15 एमएम (ड्राई लीन सीसी)	24.57

	झालावाड़		20 एमएम (अन-रिइनफोर्सड सीसी)	30 एमएम (अन-रिइनफोर्सड सीसी)	
4		शहर गौरव पथ, झालरापाटन का निर्माण	20 एमएम (अन-रिइनफोर्सड सीसी)	30 एमएम (अन-रिइनफोर्सड सीसी)	27.42
5		पाटन-सुनेल सड़क (एमडीआर-179) की किमी 0/0 से 15/0 का रिहेबिलिटेशन	150 एमएम (क्रस्टेड स्टोन इन सब-बेस)	200 एमएम (क्रस्टेड स्टोन इन सब-बेस)	43.13
6		पाटन-सुनेल सड़क (एमडीआर-179) की किमी 15/0 से 29/478 तक का रिहेबिलिटेशन	100 एमएम (क्रस्टेड स्टोन इन सब-बेस) 100 एमएम (सीसी 1:4:8)	200 एमएम (क्रस्टेड स्टोन इन सब-बेस) 140 एमएम (सीसी 1:4:8)	153.53
7	अअ सानिवि खण्ड अजमेर	किशनगढ़ नगर पालिका में शहरी गौरव पथ का निर्माण	बीएम एसडीबीसी	डीबीएम बीसी	33.71
				योग	**375.27**

8. भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य आंवटित करने के कारण परिहार्य व्यय

लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियम 351 में यह प्रावधान है कि उस भूमि पर किसी भी कार्य को शुरू नहीं किया जाना चाहिए जो जिम्मेदार सिविल अधिकारी द्वारा विधिवत सुपुर्द नहीं की जा चुकी है।

(i) अतिरिक्त सचिव, सानिवि ने इस शर्त के साथ कि जिन कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, उन्हें योजना में नहीं लिया जाना चाहिए के साथ पैकेज आरजे-12-04/5054/एमएल/पी/2016-17(RIDF-मिसिंग लिंक) के तहत 6.00 किमी लंबाई में पपदरा से श्यालावास होते हुए मूदघिस्या तक के निर्माण के लिए ₹ 240 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी (नवंबर 2016)।

अमुअ, सानिवि, जोन-II, जयपुर द्वारा ₹ 240 लाख की तकनीकी स्वीकृति दी गई। अमुअ, सानिवि, जोन-II जयपुर द्वारा मैसर्स बालाजी इंफ्रा रोड्स के पक्ष में ₹ 142.54 लाख की लागत से निविदा स्वीकार की गई (जनवरी 2017) और अअ सानिवि, खण्ड दौसा द्वारा निर्धारित तिथि 05 अगस्त 2017 तक पूर्ण करने हेतु कार्य आदेश जारी किया गया (जनवरी 2017)। अभिलेखों की जांच से पता चला कि ₹ 100.95 लाख के व्यय के बाद ग्रामीणों द्वारा रीच 5/500 से 6/00 तक पहुंच के अतिक्रमण के कारण अप्रैल 2018 तक कार्य पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा, निवासी कनेक्टिविटी से वंचित रह गए।

(ii) अतिरिक्त सचिव, सानिवि ने पैकेज आर.जे.-12-01/5054/न्यू यूसीआरवी 2001 जनगणना के बाद/पी/2013-14 (न्यू यूसीआरवी) के तहत लाडली का बास से अलुदा खुर्द (8.70 किमी लम्बाई) सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 338.80 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (अगस्त 2013) और अमुअ, सानिवि, जोन-II, जयपुर द्वारा ₹ 338.80 लाख के लिए तकनीकी स्वीकृति दी गई (सितंबर 2013)। मुअ, सानिवि द्वारा निविदा को मैसर्स राजेंद्र सिंह भाम्बू के पक्ष में स्वीकार किया गया (अक्टूबर 2013) और अअ सानिवि, खण्ड दौसा द्वारा ₹ 727.70 लाख की लागत से निर्धारित तिथि 12 सितम्बर 2014 तक कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य आदेश जारी किया गया (अक्टूबर 2013)। 6वें और अंतिम बिल तक संवेदक को ₹ 227.29 लाख का भुगतान किया गया (दिसंबर 2014)। अभिलेखों की जांच से पता चला है कि कार्य की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, राजस्व भूमि से गुजरने वाले उपलब्ध ट्रैक के अनुसार नई सड़क का निर्माण किया जाना था। हालांकि, सड़क के ज्यामितीय सुधार के लिए, किसानों के खेत से अतिरिक्त चौड़ाई की भूमि भी हासिल की जानी थी लेकिन आस-पास की भूमि के अधिग्रहण के लिए विभाग द्वारा कोई कदम उठाए बिना ही सड़क का निर्माण शुरू कर दिया गया। निर्माण के दौरान कृषकों ने आपत्ति की और अदालत से रोक आदेश प्राप्त किया (अक्टूबर 2013)। सड़क का निर्माण 0/750 से 7/242 किमी (6.492 किमी) रीच तक ही किया जा सकता था। इस प्रकार, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना सड़क कार्य प्रदान करने से ₹ 227.29 लाख का व्यय होने के बाद भी सड़क कार्य अपूर्ण रहा साथ ही निवासी भी कनेक्टिविटी से वंचित रह गए।

(iii) आर आई डी एफ-XVIII (पैकेज सं. आर जे-16-20/5054/वीसी/आर आई डी एफ-XVIII/योजना/2012-13 के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी सडक निर्माण कार्य की निविदा विभागीय समिति द्वारा संवेदक मैसर्स पड़िहार कन्स्ट्रक्शन कंपनी के पक्ष

में 213.60 लाख की लागत से स्वीकार किया गया (अप्रैल 2013) और मुअ द्वारा अवगत कराया गया (अप्रैल 2013)। अअ जिला खण्ड-II जयपुर द्वारा कार्य प्रारम्भ होने की निर्धारित तिथि 20/04/2013 और कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 19/10/2013 के साथ कार्य आदेश जारी किया गया।

अमुअ, सानिवि, जोन-II जयपुर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रस्तावित सड़कें (i) नीमला दागोता रोड से बस्सी किमी 0/0 से 5/0 और (ii) भोरगढ़ से सुरेठी रोड किमी 0/0 से 3/0 वन क्षेत्र से गुजरने एवं वन विभाग से अनुमति अपेक्षित होने के कारण वन विभाग द्वारा काम बंद करवा दिया गया। इसके बाद एग्रीमेन्ट के खंड 32 के तहत इन दोनों सड़कों के कार्य को वापस ले लिया गया। हालांकि, कार्य आदेश जारी करने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करने के कारण नीमला दागोता से बस्सी सड़क पर 0/0 से 5/0 किमी तक के कार्य पर ₹ 9.73 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। बस्तियों को सड़क संपर्क प्रदान करने का उद्देश्य भी असफल हुआ।

9. सीसी रोड कार्य में क्योरिंग कम्पाउंडिंग के मद को शामिल करने के कारण ₹ 62.46 लाख का अनियमित व्यय

क्योरिंग कम्पाउंडिंग एक तरल पदार्थ है जिसे नवीन स्थापित कंक्रीट पर सतह कोटिंग के रूप में जोड़ा जाता है। क्योरिंग कम्पाउंडिंग का प्रयोग कंक्रीट के निर्माण के अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए पानी या ताप के नुकसान को कम करने हेतु किया जाता है।

निविदा का विशेष प्रावधान 04 प्रदान करता है कि संवेदक को एमओआरडी विनिर्देशन के अनुच्छेद 1501.3 के अनुसार नियंत्रित कंक्रीट ग्रेड एम-30 के लिए एक उपयुक्त मिश्रण डिजाइन प्रस्तुत करना है और नियंत्रित कंक्रीट ग्रेड एम-30 में संवेदक द्वारा उपयुक्त रासायनिक मिश्रण का उपयोग किया जाना है। कटिंग ऑफ ज्वाईन्टस तुरंत की जाएगी और आईएस: 1834 के अनुरूप उपयुक्त जोङ सीलिंग कम्पाउंड साफ किए गए जोङ पर लगाया जाएगा। संवेदक द्वारा अपनी लागत पर सीसी पेवमेन्ट के क्योरिंग के लिए क्योरिंग कम्पाउंड का उपयोग किया जाएगा।

सीमेंट कंक्रीट (सीसी) एम-30 के बीएसआर दर विश्लेषण की जांच से पता चला कि सीसी कार्य दर में क्योरिंग कम्पाउंड और पानी शामिल है और तदनुसार प्राक्कलन तैयार गये हैं। निविदा के क्र.सं. 4 में विशेष शर्त के अनुसार, यदि सीसी के क्योरिंग के लिए क्योरिंग कम्पाउंड संवेदक द्वारा उपयोग किया जाता

है, तो क्योरिंग कम्पाउंड का भुगतान संवेदक द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा। पांच खण्डों के रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि मद सीमेंट कंक्रीट एम-30 में, सीसी सड़कों के क्योरिंग के लिए क्योरिंग कम्पाउंड को शामिल किया गया था जबकि सीसी सड़कों का क्योरिंग संवेदक द्वारा स्वयं पानी का उपयोग करके किया गया जिसके परिणामस्वरूप नीचे वर्णित ₹ 62.46 लाख का अनियमित व्यय हुआ:

क्र. सं.	खण्ड का नाम	पैकेज संख्या	निष्पादित मात्रा घन मीटर में (ए)	क्योरिंग हेतु क्षेत्र मीटर में (बी) (ए/0.15=बी) (वर्ग मी)	क्योरिंग कम्पाउंड की मात्रा (लीटर)	क्योरिंग कंमाउं ड की राशि (टीपी)	शुद्ध राशि ₹
1	अअ सानिवि खण्ड, मांडलगढ	आरजे-07-02/5054/ जीजीपी/योजना/ 2014-15	10986.62	73244.13	24170.563 (73244.13X0.33)	1933645.04 (24170.563X80) (टी.पी -7.11%)	1796162.88
2	अअ सानिवि खण्ड, हनुमानगढ	आरजे-15-01/5054/ जीजीपी/योजना/ 2014-15	10181.04	67873.6	22398.288 (67873.60X0.33)	3359743.2 (22398.288X 150) (टी.पी -9.00%)	3057366.31
3	अअ सानिवि खण्ड, सरदार शहर	आरजे-11-01/एसएच डब्ल्यू/ गैर पैचेबल/2012-13	280.00	1866.6666	615.9999 (1866.6666X0.33)	32031.99 (615.9999X 52) (टी.पी +4.86%)	33588.74
4	अअ सानिवि खण्ड-I, जोधपुर	आरजे-21-01/ जीजीपी II/ योजना/2016-17	9024.51	60163.43	1431016.55 (158.57X9024.51)	1431016.55 (टी.पी -11.11%)	1272030.62
5	अअ सानिवि खण्ड, टोंक	आरजे 32-01/5054/एम एल/ योजना/2015-16	878.59	5857.2666	1932.8979 (5857.2666X0.33)	102443.5887 (1932.8979x 53) (टी.पी -14.99%)	87087.29
	योग						**6246235.84**

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.14.6)

क्षतिपूर्ति की वसूली/आरोपण का अभाव

क्र.स.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संवेदक के नाम	कार्य आदेश राशि (₹ लाख में)	निर्धारित तिथि		पूरा होने की वास्तविक तिथि	निष्पादित कार्य (₹ लाख में)	क्षतिपूर्ति आरोपण/आरेपित की जानी है		वसूली गई राशि ₹	वसूल की जाने वाली राशि ₹
						प्रारंभ	समाप्ति			धारा 2 के अंतर्गत	धारा 3 के अंतर्गत		
1	अअ, सानिवि खण्ड सागवाड़ा	एआर से आश्रम रोड (TAD)	64/2016-17	खुशी कन्स्ट्रक्शन	30.74	12/2/17	11/7/17	कार्य प्रगति पर	0	307374	0	0	307374
2	अअ, सानिवि खण्ड चित्तौड़गढ़	आरजे-10-04/NP/आरआईडीएफ-20/14-15	2/2015-16	रघुनाथ जाट	306.2	22/4/15	21/10/15	कार्य प्रगति पर	277.96	923797	0	0	923797
3	अअ, सानिवि खण्ड चित्तौड़गढ़	आरजे-10-04/आरआईडीएफ-21/15-16	133/2015-16	मातेश्वरी कन्स्ट्रक्शन	81.5	18/3/16	17/8/16	3/11/16	0	815020	0	22610	792410
4	अअ, सानिवि खण्ड चित्तौड़गढ़	आरजे-10-03/आरआईडीएफ-17/एमएल/11-12	5/2013-14	बिगाजी कन्स्ट्रक्शन कं.	203.38	19/4/13	18/10/13	नहीं हुआ	0	2033776	17694280	0	3728056

5	अअ, सानिवि खण्ड चित्तौड़गढ़	आरजे-10-01/SM&R/12-13	4/2013-14	पृथ्वी राज जाट	86.33	19/4/13	18/7/13	5/1/15	16.94	4829686	0	51793	4777893
6	अअ, सानिवि खण्ड चित्तौड़गढ़	रश्मी करोही रोड (MDR-107) किमी 1/0 से 2/0 एवं 3/0 से 7/0	224/2013-14	धरती धन कन्स्ट्रक्शन	130.52	17/2/14	16/7/14	कार्य प्रगति पर	0	1305126	0	0	1305126
7	अअ, सानिवि खण्ड चित्तौड़गढ़	आरजे-10-03/SM&R/NP/12-13	57/2013-14	अमोल अग्रवाल	162.04	10/6/13	9/10/13	22/12/14	133.16	288802	0	0	288802
8	अअ, सानिवि खण्ड चित्तौड़गढ़	भिन्डर-अकोला-रामगढ रोड का नवीनीकरण/SM&R	60/2013-14	बाबूलाल धाकड़	111.06	7/6/13	6/9/13	कार्य प्रगति पर	4.14	1110693	0	0	1110693
9	अअ, सानिवि खण्ड चित्तौड़गढ़	नवीनीकरण कार्य -आरजे-10-02/RSAMB/ आरआईडीएफ-17/2012-13	62/2013-14	रघुनाथ जाट	157.17	17/6/13	16/10/13	20/11/13	108.11	490610	0	9933	480677
10	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I जोधपुर	रूप रजत गौशाला से भोलारामजी की उपरली देबारी	27/2015-16	बद्री प्रसाद एण्ड कं.	136.97	20/9/15	19/3/16	वापस ले लिया	102.77	1369662	790508	0	2160170

11	अअ, सानिवि खण्ड नोखा	आरजे-08/BADP/09/15-16	05/2016-17	मैसर्स हरी राम मांगी लाल	355.58	9/6/16	8/1/17	-	133.44	3555837	0	0	3555837
12	अअ, सानिवि खण्ड नोखा	आरजे-08/BADP/07/15-16	03/2016-17	मैसर्स हरी राम मांगी लाल	383.19	9/6/16	8/1/17	कार्य प्रगति पर	163.96	3831929	0	0	3831929
13	अअ, सानिवि बोली	एमएल रोड़ का निर्माण	84/2016-17	मैसर्स हेम राज मीना	340.77	12/3/17	11/11/17	कार्य प्रगति पर	207.50	3407654	0	0	3407654
14	अअ, सानिवि बोली	आरजे-28-03/आरआईडीएफ-22/2016-17	77/2016-17	मैसर्स ब्रहम प्रकाश मोदी	739.94	25/2/17	24/11/17	कार्य प्रगति पर	261.98	7399390	0	0	7399390
15	अअ, सानिवि बालोतरा	आरजे-05-03/ML/2015-16	62/2015-16	मैसर्स नेमी चंद	223.32	12/12/15	11/5/16	20/12/16	216.94	2233176	0	0	2233176
16	अअ, सानिवि कुशलगढ़	शहर गौरव पथ कुशलगढ का निर्माण	43/2016-17	मैसर्स श्रेध्या कन्स्ट्रक्शन	141.68	3/3/17	2/9/17	कार्य प्रगति पर	48.66	930142	0	0	930142
17	अअ, सानिवि कुशलगढ़	जालिमपुरा से थूथनी कानकासिया बीटी रोड़	03/2013-14	मैसर्स रूक्कया कन्स्ट्रक्शन	112.15	19/4/13	18/8/13	दिनांक 02/12/15 को वापस ले लिया	60.25	1121468	0	0	1121468
				कुल	**3702.54**				**1735.81**	**35954142**	**2484788**	**84336**	**38354594**

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.15.2)

अतिरिक्त/अधिक मद की मंजूरी में सीआरएफ दिशा-निर्देशों से विचलन

(₹ लाख में)

क्र.स.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मुख्य कार्य की प्रकृति	अतिरिक्त/ अधिक निष्पादित की प्रकृति	कार्य आदेश राशि	अतिरिक्त/ अधिक राशि	अतिरिक्त/ अधिक का प्रतिशत
1	अअ, खण्ड झालावाड़	सीआरएफ-847/आरजे/ 2015-16	एप्रोच के साथ उच्च स्तरीय पुल	सड़क की अतिरिक्त लंबाई	4069.81	1081.74	26.58
2	अअ, खण्ड झालावाड़	सीआरएफ-815/आरजे/ 2014-15	एप्रोच के साथ उच्च स्तरीय पुल	नींव के संशोधित पैटर्न के कारण	1554.74	173.01	11.13
3	अअ, खण्ड झालावाड़	सीआरएफ-814/आरजे/ 2014-15	एप्रोच के साथ उच्च स्तरीय पुल	चार लेन वाली सड़क के साथ एनीकट	4179.62	685.85	16.41
4	अअ, खण्ड अकलेरा (एसीई कोटा)	सीआरएफ-870/आरजे/ 2015-16	सड़क का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण	नाली के साथ अतिरिक्त लंबाई का निर्माण	1008.37	170.05	16.86
5	अअ, खण्ड डीडवाना	सीआरएफ-820/आरजे/ 2014-15	आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) का निर्माण	रेलवे ने आरयूबी (रेल अंडर ब्रिज) के निर्माण के कारण डिजाइन में बदलाव किया	4349.14	874.80	20.11
6	अअ, खण्ड डीडवाना	सीआरएफ-833/आरजे/ 2015-16	दो लाईन का चौड़ाईकरण और सड़क का सुदृढ़ीकरण	रोड प्रोफाइल में ज्यामितीय संशोधन और उच्च विनिर्देशन बिटुमेन लेना	3529.48	1744.51	49.43
7	अअ, खण्ड डीडवाना	सीआरएफ-832/आरजे/ 2015-16	सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण	रोड प्रोफाइल में ज्यामितीय संशोधन और उच्च विनिर्देशन बिटुमेन लेना	1879.44	1158.41	61.64
8	अअ, खण्ड डीडवाना	सीआरएफ-867/आरजे/ 2015-16	सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण	रोड प्रोफाइल में ज्यामितीय संशोधन और अनुमान से भिन्न विनिर्देशन लेना	1026.99	469.75	45.74

9	अअ, खण्ड डीडवाना	सीआरएफ-819/आरजे/2014-15	आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) का निर्माण	रेलवे से संशोधित ड्राइंग और संरचना में अतिरिक्त स्टील	2873.94	387.17	13.47
10	अअ, खण्ड डीडवाना	सीआरएफ-831/आरजे/2015-16	सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण	रोड प्रोफाइल में ज्यामितीय संशोधन और उच्च विनिर्देशन बिटुमेन लेना	1586.13	747.92	47.15
11	अअ, खण्ड डीडवाना	सीआरएफ-866/आरजे/2015-16	सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण	रोड प्रोफाइल, सड़क सुरक्षा में ज्यामितीय संशोधन, जल भराव क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य	3363.61	962.47	28.61
12	मुअ (एनएच) जयपुर	सीआरएफ-816/आरजे/2014-15	सड़क का पुनर्वास	सड़क के बाईपास का निर्माण	3700.02	730.32	19.74
13	मुअ (एनएच) जयपुर	सीआरएफ-856/आरजे/2015-16	सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण और नाली का कार्य	विनिर्देशन बदले गए क्योंकि आईआरसी के अनुसार नहीं	1718.14	292.95	17.05
योग					**34839.43**	**9478.95**	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.15.4)

मूल्य भिन्नता का अधिक भुगतान

(₹ लाख में)

क्र. स.	खण्ड का नाम	कार्य/पैकेज का नाम	संवेदक का नाम	भुगतान की मूल्य भिन्नता की राशि	भुगतान की जाने वाली मूल्य भिन्नता की राशि	अतिरिक्त भुगतान	अधिक भुगतान के कारण
1	अअ, सानिवि खण्ड बोली	आरजे-28-01/5054/आरआईडीएफ/XX/2015-16	मैसर्स देवीलाल चौधरी	3.98	1.99	1.99	घटक का गलत %
2	अअ, सानिवि खण्ड हिंडौन सिटी	आरजे-28-02/5054/आरआईडीएफXXII/2016-17	मैसर्स जयमन कन्स्ट्रक्शन कं.	3.19	(-)0.19	3.37	बोली खोलने की गलत दिनांक

3	अअ, सानिवि खण्ड हिंडौन सिटी	निर्माण एवं चौडाईकरण SM&AR	आर.पी.शर्मा	1.4	1.01	0.39	गलत इन्डैक्स मूल्य
4	अअ, सानिवि खण्ड बालोतरा	एमएल के तहत बीटी रोड़ का निर्माण आरजे-05-05/2015-16	मैसर्स नेमीचंद	-	(-)1.52	1.52	बोली खोलने की गलत दिनांक
5	अअ, सानिवि खण्ड बालोतरा	डांगियावास बालेतरा एसएच-68 रोड़ का चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण	मैसर्स केरा राम	0.42	(-)1.51	1.93	बोली खोलने की गलत दिनांक/ गलत त्रैमासिक आधार
6	अअ, सानिवि खण्ड बालोतरा	शहर गौरव पथ रेल्वे स्टेशन से जसोलफन्टा	मैसर्स बी गौतम एण्ड कं.	1.52	(-)0-51	2.02	गलत त्रैमासिक आधार
7	अअ, सानिवि खण्ड बाड़मेर	आरआईडीएफ के तहत पुर्नवास कार्य आरजे-05-01/आरआईडीएफXXII/2016-17	मैसर्स द्वारका दास दोषी	(-)2.25	(-)4.86	2.61	गलत गणना
8	अअ, सानिवि खण्ड नीम का थाना	नीम का थाना से थोई वाया भुडोली सीआरएफ 786/13-14 का सुदृढीकरण एवं चौडाईकरण	मैसर्स अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कं.	10.23	0	10.23	पी वी अनुमत्य नहीं
9	अअ, सानिवि खण्ड नीम का थाना	सीआरएफ-787/13-14/-	मैसर्स ब्रहमा प्रकाश मोदी	12.89	0	12.89	पी वी अनुमत्य नहीं
10	अअ, सानिवि खण्ड सागवाड़ा	63/2015-16(TAD कार्य)	जय गौरव एन्टरप्राई-जेज	(-)4.33	(-)6.73	2.4	बोली खोलने की गलत दिनांक
11	अअ,सानिवि खण्ड सागवाड़ा	70/2013-14	बालाजी कन्स्ट्रक्शन कं.	32.06	15.14	16.92	बोली खोलने की गलत दिनांक
12	अअ, सानिवि खण्ड दौसा	आरजे-12-04/आरआईडीएफ XX/2015-16/(01/2015-16)	बालाजी कन्स्ट्रक्शन कं.	5.59	(-)9.62	15.21	बोली खोलने की गलत दिनांक

13	अअ, सानिवि खण्ड दौसा	आरजे-12-04/आरआईडीएफ XX/2016-17/(276/2016-17)	बालाजी कन्स्ट्रक्शन कं.	2.43	0.74	1.68	बोली खोलने की गलत दिनांक
14	अअ, सानिवि खण्ड दौसा	आरजे-12-06/RSAMB/आरआईडीएफ 19/13-14/(110/13-14)	बालाजी कन्स्ट्रक्शन कं.	9.11	8.47	0.64	बोली खोलने की गलत दिनांक
15	अअ, सानिवि खण्ड दौसा	आरजे-12-03/आरआईडीएफ 22/16-17	बालाजी इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लिमि.	3.16	(-)1.48	4.64	बोली खोलने की गलत दिनांक
16	अअ, सानिवि खण्ड दौसा	जीजीपी(263/2016-17)	हीरालाल सैनी	3	(-)0.71	3.71	बोली खोलने की गलत दिनांक
17	अअ, सानिवि खण्ड फुलेरा	आरजे 16-13/आरआईडीएफ XXII/16-17(69/16-17)	श्याम कन्स्ट्रक्शन	1.31	(-)2.38	3.69	बोली खोलने की गलत दिनांक
18	अअ, सानिवि खण्ड ब्यावर	आरजे-01-01/RSAMB/आरआईडीएफ19/2013-14/66/2013-14	सविन्दर जीत सिंह	16.73	15.36	1.37	बोली खोलने की गलत दिनांक
19	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I जोधपुर	आरजे-21-02/आरआईडीएफ20/14-15(01/2015-16	धायल कन्स्ट्रक्शन कं.	3.62	2.5	1.11	बीटूमेन का गलत इन्डैक्स मूल्य
20	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I जोधपुर	आरजे-21-01/आरआईडीएफ19/RSAMB/13-14(33/2013-14	बी. पी. चौधरी	5.14	4.91	0.23	बोली खोलने की गलत दिनांक
21	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I जोधपुर	आरजे-21-01/आरआईडीएफ19/13-14(42/13-14	बी. पी. चौधरी	24.51	16.51	8.00	बोली खोलने की गलत दिनांक
22	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I	आरजे21-01/MDR/आरआईडीएफ1	मण्डा बिल्डर्स	72.62	10.57	62.05	बोली खोलने

	जोधपुर	8/12-13(105/2012-13)					की गलत दिनांक
23	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I जोधपुर	आरजे 21-02/आरआईडीएफ18/12-13/(119/2012-13)	बी. पी. चौधरी	11.66	3.36	8.30	बोली खोलने की गलत दिनांक
24	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I जोधपुर	आरजे 21-06/आरआईडीएफ18/MLIII/12-13(120/2012-13)	बी. पी. चौधरी	30.15	3.83	26.32	बोली खोलने की गलत दिनांक
25	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I जोधपुर	आरजे 21-03/आरआईडीएफ19/13-14/(45/2013-14)	बी. पी. चौधरी	21.3	14.68	6.61	बोली खोलने की गलत दिनांक
26	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I जोधपुर	आरजे21-02/आरआईडीएफ19/13-14/(44/13-14)	बी. पी. चौधरी	14.13	9.86	4.27	बोली खोलने की गलत दिनांक
27	अअ, सानिवि जिला खण्ड-I जोधपुर	आरजे21-04/आरआईडीएफ19/13-14/(40/13-14)	मुकेश ट्रेडिंग कं.	32.3	25.57	6.73	बोली खोलने की गलत दिनांक
28	अअ, सानिवि झालावाड़	255/2014-15,	सत्य कन्स्ट्रक्शन कं.	2.15	(-) 10.36	12.51	गलत इन्डैक्स मूल्य
29	अअ, सानिवि झालावाड़	03/2015-16	गणेश गरहिया	2.95	(-)1.51	4.46	गलत इन्डैक्स मूल्य
योग						**227.80**	

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.9)

राज्य में संरक्षित क्षेत्रों की सूची

क्र.स.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्र वर्ग किमी
ए	**राष्ट्रीय उद्यान**		
1	रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान	सवाई माधोपुर	282.03
2	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73
3	मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क	कोटा, चित्तौड़गढ़	199.55
	योग		**510.31**
बी	**वन्यजीव अभयारण्य**		
1	सरिस्का अभयारण्य	अलवर	492.29
1(ए)	सरिस्का 'ए' अभयारण्य	अलवर	3.01
2	दर्रा अभयारण्य	कोटा, झालावाड़	239.76
3	जवाहर सागर अभयारण्य	कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़	220.09
4	जयसमंद अभयारण्य	उदयपुर	52.34
5	फुलवारी की नाल अभयारण्य	उदयपुर	511.41
6	सज्जनगढ़ अभयारण्य	उदयपुर	5.19
7	सीतामाता अभयारण्य	उदयपुर, चित्तौड़गढ़	422.94
8	माउंट आबू अभयारण्य	सिरोही	326.10
9	तालछापर अभयारण्य	चुरू	7.19
10	राष्ट्रीय चम्बल गडियाल अभयारण्य	कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर	280.00
11	नाहरगढ़ अभयारण्य	जयपुर	52.40
12	जमवागढ़ अभयारण्य	जयपुर	300.00
13	डेजर्ट नेशनल पार्क	जैसलमेर, बाड़मेर	3162.00
14	रामगढ़ विषधारी अभयारण्य	बूंदी	307.00
15	केलादेवी अभयारण्य	करोली, सवाई माधोपुर	676.82
16	शेरगढ़ अभयारण्य	बारां	81.67

17	टोडगढ़ राओली अभयारण्य	राजसमंद, अजमेर, पाली	475.24
18	कुम्भलगढ़ अभयारण्य	राजसमंद, उदयपुर, पाली	610.53
19	सवाईमान सिंह अभयारण्य	सवाई माधोपुर	113.07
20	सवाई माधोपुर अभयारण्य	सवाई माधोपुर	131.30
21	बेसरगढ़ अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	201.40
22	बस्सी अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69
23	वन विहार अभयारण्य	धौलपुर	25.60
24	रामसागर अभयारण्य	धौलपुर	34.40
25	केसरबाग अभयारण्य	धौलपुर	14.76
26	बंद बरिथा अभयारण्य	भरतपुर	199.24
योग			**9084.44**
सी	**संरक्षण रिजर्व**		
1	बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व	टोंक	48.31
2	जोदबीद गढ़वाला बीकानेर कंजरवेशन रिजर्व	बीकानेर	56.47
3	सुंधामाता संरक्षण रिजर्व	जालोर, सिरोही	117.49
4	गुढ़ा विश्नोईन संरक्षण रिजर्व	जोधपुर	2.31
5	शाकंभरी संरक्षण रिजर्व	सीकर, झुंझुनू	131.00
6	गोगेलाव संरक्षण रिजर्व	नागौर	3.58
7	बीड झुंझुनू कंजरवेशन रिजर्व	झुंझुनू	10.47
8	रोटू संरक्षण रिजर्व	नागौर	0.73
9	उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजरवेशन रिजर्व	कोटा	2.72
10	जवाईबांध तेंदुआ संरक्षण रिजर्व	पाली	19.79
11	बंसियाल-खेतड़ी संरक्षण रिजर्व	झुंझुनू	70.18
12	बंसियाल-खेतड़ी बागोर संरक्षण रिजर्व	झुंझुनू	39.66
योग			**502.71**
	कुल योग		**10097.46**
डी	**जूलॉजिकल पार्क**		
1	माचिया जूलॉजिकल पार्क	जोधपुर	-

2	सज्जनगढ़ जूलॉजिकल पार्क	उदयपुर	-
3	नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क	जयपुर	-
4	अभेडा जूलॉजिकल पार्क	कोटा	-
5	मरुधरा जूलॉजिकल पार्क	बीकानेर	-

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.10)

2013-17 के दौरान वन्यजीव जनगणना की स्थिति

क्र. सं.	वन्यजीव का नाम	जनगणना					2013 से 2017 तक कमी	2013 से 2017 तक वृद्धि	प्रतिशत
		2013	2014	2015	2016	2017			
1	तेंदुआ	612	420	434	508	507	105	-	-17.15
2	आलसी भालू	957	854	815	902	919	38	-	-3.97
3	भारतीय भेड़िया	1385	1164	1044	892	888	497	-	-35.88
4	सिविट्स (बिज्जू)	1870	1533	1488	1673	1716	154	-	-8.23
5	चार सींग वाला मृग	309	359	532	320	360	-	51	+16.50
6	चीतल	23141	4038	4274	3672	3205	19936	-	-86.15
7	इंडियन गज़ेल (चिंकारा)	41099	40340	42864	41466	46393	-	5294	+12.88
8	लकड़बग्धा	3449	2509	2367	2370	2599	850	-	-24.64
9	जंगली बिल्ली	4062	4157	4737	5106	5309	-	1247	+30.69
10	जंगली सूअर	21650	9732	9994	10979	14466	7184	-	-33.18
11	काला हिरन	16560	18021	17697	30530	26258	-	9698	+58.56
12	आम लंगूर	49719	29152	23740	22902	8269	41450	-	-83.36
13	लोमड़ी	6604	7029	7002	7123	7409	-	805	+12.18
14	मोंगोओस (नेवला)	3128	2617	2150	2131	1508	1620	-	-51.79
15	नीलगाय	84476	65823	70924	73281	77377	7099	-	-8.40
16	सांभर	22075	747	795	873	867	21208	-	-96.07
17	भारतीय साही (सेही)	3676	2768	3271	2893	2999	677	-	-18.41

18	सियार	25411	21759	21557	21549	22808	2603	-	-10.24
19	कराकल (सियागोश)	357	707	30	57	76	281	-	-78.71
योग		**310540**	**213729**	**215715**	**229227**	**223933**	**103702**	**17095**	**-27.86**
प्रमुख वन्यजीव									
वर्ष		**2006**	**2010**	**2014**	**2018**				
बाघों की संख्या		32	36	45	जानकारी नहीं दी गई				
वर्ष		2014	2015	2016	2018				
जीआईबी की संख्या		103	169	166	जानकारी नहीं दी गई				

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.15.2)

2013-18 के दौरान अधिसूचित वन क्षेत्र तथा सुरक्षा और संरक्षण पर किए गए व्यय की स्थिति

वर्ष	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग किमी)	आरक्षित वन क्षेत्र (वर्ग किमी)	संरक्षित वन क्षेत्र (वर्ग किमी)	अवर्गीकृत वन क्षेत्र (वर्ग किमी)	कुल वन क्षेत्र (वर्ग किमी)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	सुरक्षा और संरक्षण पर व्यय (करोड़ में)
2013-14	3,42,239	12,439.26	18,263.02	2042.20	32,744.48	9.57	419.03
2014-15	3,42,239	12,439.26	18,263.02	2042.20	32,744.48	9.57	492.49
2015-16	3,42,239	12,352.75	18,408.87	2066.73	32,828.35	9.59	562.22
2016-17	3,42,239	12,352.78	18,408.85	2066.74	32,828.37	9.59	531.21
2017-18	3,42,239	12,352.78	18,408.85	2066.74	32,828.37	9.59	304.56
परिवर्तन (+)(-) *प्रतिशत*		(-)86.48 (-0.70%)	(+)145.83 (+0.80%)	(+)24.54 (+1.20%)	(+)83.89 (+0.26%)	(+)0.02	2309.51

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.18)

सिफारिशों का विवरण जिस पर अंतिम कार्यवाही महालेखाकार को सूचित की जानी है

क्र. सं.	अनुच्छेद संख्या	सिफारिश संख्या	सिफारिश का संक्षिप्त विवरण
1	2.1.7.1	3	अंतिम अधिसूचना जारी होने के 6 महीने के भीतर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की पूर्ण अनुपालना को सूचित करना।
2	2.1.7.1	4	टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का के लिए गांवों को पुनर्वास करने और राष्ट्रीय उद्यान की अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए किए गए उपायों को सूचित करना।
3	2.1.7.1	5	छः गांवों के पुन: आवन्टन के लिए मुआवजे के पैकेज को बढ़ाकर 10 लाख करने के प्रस्ताव पर लिये गये निर्णय को सूचित करना।
4	2.1.7.2	10	आरटीआर और एसटीआर क्षेत्र में 1994.47 वर्ग किमी में स्थिति कोर/महत्वपूर्ण निवासी 94 गांवों में से 10 गांव पूर्णतया पुनर्वासित हो चुके है। शेष 84 गांवों को पुन: आवन्टन और सीटीएच क्षेत्र को निषिद्ध/संरक्षित क्षेत्र में बदलने के लिए उपाय को सूचित करना।
5	2.1.7.2	20	जालौर में वन मण्डल जसवंतपुरा में स्लॉथ बीयर के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना समय पर प्रस्तुत नहीं करने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने को सूचित करना।
6	2.1.7.2	21	गाँवों को संरक्षित क्षेत्र से पुनर्वास करने में विभाग के सामने आने वाली कठिनाइयों को सूचित करना।
7	2.1.7.3	25	वन भूमि के म्यूटेशन के लिए जिला स्तरीय समिति की अवधि 31/12/2018 तक या स्थायी समिति का गठन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इसकी तथ्यात्मक स्थिति को एजी को सूचित करना।

8	2.1.7.4	42	जैव विविधता संसाधनों से प्राप्त आदानों के दीर्घकालिक उपयोग में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासों को सूचित करना।
9	2.1.7.6	46	रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के बारे में प्रासंगिक साक्ष्य के साथ तथ्यों को सूचित करना।
10	2.1.7.6	49	एसटीआर में विशेष बाघ संरक्षण बल के गठन की प्रगति को सूचित करना।
11	2.1.7.7	51	पहली किस्त के अनुमोदन के बाद प्राप्त अनुदान की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सूचित करना।

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ अनुच्छेद 2.2.18)

बकाया सिफारिशों की स्थिति

क्र. सं.	अनुच्छेद संख्या	सिफारिश संख्या	सिफारिश का संक्षिप्त विवरण
1	2.1.7.1	1	वन नीति में पांच प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने की परिकल्पना की गई है। 1.72 प्रतिशत की कमी पर कार्रवाई की रिपोर्ट को सूचित किया जाना था।
2	2.1.7.2	22	राज्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की स्थिति और वन्यजीवों के अपराधों की स्थिति को सूचित किया जा सकता है।
3	2.1.7.2	23	इस मामले में फर्जी सूचना देने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को सूचित किया जा सकता है।
4	2.1.7.3	26	म्यूटेशन के लिए लंबित रह गई (4.86 हे) भूमि का म्यूटेशन एजी को सूचित किये जाने के अधीन किया जाना है।
5	2.1.7.3	33	डिजिटलीकरण के लिए लंबित भूमि को डिजिटल किया जा सकता है और लेखापरीक्षा को सूचित किया जा सकता है।
6	2.1.7.3	37	वन रेंज ब्यास की बावड़ी, झालमंड, फिल्टर क्षेत्र,

			छाप्पी परियोजना की परियोजना मंजूरी के लिए किए गए प्रयासों को एजी को सूचित करना।
7	2.1.7.3	38	छाप्पी परियोजना की ₹ 81.73 करोड़ की लंबित वसूली को वसूलना और एजी को सूचित करना।
8	2.1.7.3	40	कोटा-चित्तौड़गढ़ रेलवे लाइन के लिए भूमि के परिवर्तन की राशि की गणना और वसूली की जा सकती है।
9	2.1.7.4	41	जैव विविधता संरक्षण के लिए 10-वर्षीय योजना को जैव विविधता बोर्ड द्वारा तैयार करना एवं एजी को सूचित करते हुए राज्य सरकार को भेजना
10	2.1.7.4	43	जैव विविधता विरासत स्थलों के क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए उठाए गए कदमों की पहचान तथा एजी को सूचित करते हुए अधिसूचित करना।
11	2.1.7.5	44	जैव विविधता के पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण के लिए तकनीकी सहायता समूह के साथ काम करने के लिए एम ओ यू की प्रगति करना तथा एजी को सूचित करना।
12	2.1.7.7	53	आरटीआर और एसटीआर के अलावा पार्कों से इको डेवलपमेंट सरचार्ज के रूप में प्राप्त आय के साथ-साथ विकास गतिविधियों पर होने वाले खर्च को सूचित करना।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.6.3)

अर्जित ब्याज और उपयोग का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	खण्ड का नाम	डब्ल्यू. ए.यू. की संख्या	अर्जित ब्याज	उपयोगिता ब्याज की राशि	उपयोगिता राशि की प्रतिशतता
1	अ अ, प क्षे खण्ड-I, भीलवाड़ा	34	661053	0	0
2	अ अ, प क्षे खण्ड, प्रतापगढ	04	100000	0	0
3	अ अ, प क्षे खण्ड, सिरोही	15	730561	0	0
4	अ अ, प क्षे खण्ड, टोंक	09	360210	0	0
5	अ अ, चनवाली नहर खण्ड, झालावाड़	05	206250	0	0

6	अ अ, प क्षे खण्ड, जोधपुर	03	127500	0	0
7	अ अ, प क्षे खण्ड, जयपुर	10	328750	0	0
8	अ अ, प क्षे खण्ड-I, बारां	01	15362	0	0
9	अ अ, प क्षे खण्ड, उदयपुर	05	173537	0	0
10	अ अ, प क्षे खण्ड, अलवर	03	130122	0	0
11	अ अ, जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर	05	53593	0	0
12	अ अ, प क्षे खण्ड, बूंदी	14	512438	0	0
13	अ अ, प क्षे खण्ड, सवाईमाधोपुर	10	376966	0	0
14	अ अ, प क्षे खण्ड, करौली	07	325738	0	0
15	अ अ, प क्षे खण्ड-II, अजमेर	10	510000	0	0
16	अ अ, प क्षे खण्ड, झालावाड़	7	207802	0	0
17	अ अ, प क्षे खण्ड-III, बारां	9	122896	0	0
18	अ अ, प क्षे खण्ड, छाबड़ा	1	44448	0	0
19	अ अ, प क्षे खण्ड-I, अजमेर	29	1479000	0	0
20	अ अ, प क्षे खण्ड, सीकर	6	148581	0	0
21	अ अ, प क्षे खण्ड, जालौर	3	144192	0	0
22	अ अ, प क्षे खण्ड-II, सागवाड़ा	4	63315	0	0
23	अ अ, प क्षे खण्ड, एसकेएपी, डूंगरपुर	3	111254	0	0
	योग	**197**	**6933568**	**0**	**0**
24	अ अ, प क्षे खण्ड, चित्तौड़गढ़	20	704724	36500	5.18
25	अ अ, प क्षे खण्ड, पाली	19	833744	129000	15.47
26	अ अ, प क्षे खण्ड, दौसा	3	118705	25000	21.06
27	अ अ, प क्षे खण्ड-II, भीलवाड़ा	30	400434	104945	26.20
28	अ अ, प क्षे खण्ड-I, डूंगरपुर	10	194241	66044	34.00
29	अ अ, प क्षे खण्ड, राजसमंद	19	754906	282206	37.38
30	अ अ, प क्षे खण्ड, बांसवाड़ा	18	621341	277621	44.68
31	अ अ, प क्षे खण्ड, सलुम्बर	17	682805	611000	89.48
	योग	**136**	**4310900**	**1532316**	
	कुल योग	**333**	**11244468**	**1532316**	

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

http://agraj.cag.gov.in